न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 135/2021 राजस्व वाद

धर्मा पुत्र श्री पन्ना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) —— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार ——प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक–07.02.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 129 मे से 02 दो बीघा भूमि आवंटन की गयी। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित भूमि के बाद आंवटन **आराजी नम्बर 285/129 दौ सौ पिच्यासी/एक सौ उनतीस रकबा 02 दो बीघा** भूमि कायम हुए है व वादी उक्त भूमि पर आवंटन की दिनांक से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के नाम पर उक्त भूमि खातेदारी हक अधिकार से दर्ज की गयी व राजस्व नक्शे मे भी तरमीम की गयी। दिनांक 06 छह अगस्त 2021 दो हजार इक्कीस एवं 16 सौलह सितम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को पटवार हल्का द्वारा भी नकल उक्त नम्बर की जारी की गयी। दिनांक 01 अक्टूम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को लोगो द्वारा वादी के नाम पर ऑनलाईन रेकार्ड मे वादी के नाम पर भूमि दर्ज नही होने व भूमि ऑन लाईन बिलानाम दर्ज होने से बेदखल करने की धमकी दी गयी। इस पर वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की गयी तो वादी को जानकारी मे आया कि आराजी नम्बर 129 मे से वादी को 02 बीघा भूमि आवंटन हुई, जो कि वादी के नाम पर नवीन बटा **आराजी नम्बर 285/129 दौ सौ पिच्यासी/एक सौ उनतीस रकबा 02 दो बीघा** के रूप मे दर्ज हुई राजस्व नक्शे मे तरमीम हुई, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक तरीके से नवीन बटा नम्बर से नवीन नम्बर कायम नही कर मूल आराजी नम्बर 129 के नवीन आराजी नम्बर 227 रकबा 9.4500 हैक्टयर, आराजी नम्बर 228 रकबा 0.7700 हैक्टयर कायम किये गये बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये गये। जबकि वादी की खातेदारी हक अधिकार की भूमि भी बिलानाम दर्ज हो गयी है। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना मौके व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये गये , उक्त कार्यवाही की है। सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादी की खातेदारी **आराजी नम्बर 285/129 दौ सौ पिच्यासी/एक सौ उनतीस रकबा 02** दो बीघा भूमि को [illegible] दौरान राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक मूल नम्बर 129 के नवीन आराजी नम्बर 227 रकबा 9.45[illegible] हैक्टयर, आराजी नम्बर 228 रकबा 0.7700 हैक्टयर कायम करते हुए उसमे मिलाकर वादी की भूमि भी [illegible] दर्ज कर दी, वादी राजस्व [illegible] मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त बिलानाम भूमि मे से अपनी 02 बीघा [illegible] अलग नवीन नम्बरान का[illegible] पूर्ववत तरमीम व आंवटन कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड मे तरमीम कराने व दोनो मूल नम्बरो के नवीन नम्बरो मे से 02 दो बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपस्थित होकर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर , वादी की खातेदारी भूमि के नवीन नम्बर कायम करते हुए राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर दर्ज कराने व खातेदारी से दर्ज करने हेतु निवेदन किया, लेकिन दिनांक 04 चार अक्टूम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को सेटलमेन्ट मे त्रूटि होने रो दुरूस्त करने से इंकार कर सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादी की खातेदारी **आराजी नम्बर 285/129 दो सौ पिच्यासी/एक सौ उनतीस रकबा 02 दो बीघा** भूमि को सेटलेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक मूल नम्बर 129 के नवीन आराजी नम्बर 227 रकबा 9.4500 हैक्टयर, आराजी नम्बर 228 रकबा 0.7700 हैक्टयर कायम करते हुए उसमे मिलाकर वादी की भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी, वादी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त बिलानाम भूमि मे से अपनी 02 बीघा भूमि अलग नवीन नम्बरान कायम करा, पूर्ववत तरमीम व आंवटन कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड मे तरमीम कराने व दोनो मूल नम्बरो के नवीन नम्बरो मे से 02 दो बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया व मौका रिपोर्ट पेश की गयी।

मामले में निम्न विवाधक कायम किए गये:–

1 कि आया वादी को आवंटित सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे विवादित आराजियात को गलत रूप से बिलानाम आराजी मे दर्ज की है, जिसे वादी राजस्व रेकार्ड मे अपनी भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है? —बजिम्मे वादी

2 आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे उठाये गये एतराजो के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ? — बजिम्मे प्रतिवादी

3 अनुतोष–

प्रकरण मे वादी की ओर से अपने पूर्व मे आंवटित भूमि की जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस व वर्तमान जमाबंदी की नकल दस्तावेजात पेश किये गये, वादी की साक्ष्य स्वरूप वादी का शपथपत्र व स्वतंत्र गवाह के शपथपत्र पेश किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य PW1, PW2 से वादी को भूमि आंवटित होना व प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 आराजी न. 285/129, प्रदर्श–2 साबिक राजस्व नक्शा, प्रदर्श–3 मिलान खसरा, प्रदर्श–4 नवीन राजस्व नक्शा, जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 खाता सं. 1 प्रदर्श–5 से वादी को भूमि आंवटित होकर खातेदारी होना सिद्ध होता हैं, PW1, PW2 से वादी को आंवटन होना एवं खातेदारी दर्ज होना, एवं कब्जा होना सिद्ध होता है, व पेरोकार सरकार के जवाब व प्रदर्शित दस्तावेज मौका पर्चा 1/6 लगायत 2/6, साबिक नक्शा 3/6 व प्रस्तावित नवीन नक्शा 4/6 व 5/6, नवीन नक्शा 6/6 से भूमि बिलानाम दर्ज होना तथा वादी के नम्बरान का नवीन नम्बर दर्ज नहीं होना साबित है, इस प्रकार विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष मे एंव प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष मे सिद्व होने से विवाद्वक संख्या 02 भी वादी के पक्ष मे सिद्व माने जाते है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी की भूमि को वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे वादी को सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 129 मे से 2 बीघा भूमि आवंटन की जाना व भूमि के बाद आंवटन आराजी नम्बर 285/129 रकबा 2 बीघा काय[illegible] बाद मे उक्त भूमि सेटलेन्ट के दौरान साबिक मूल नम्बर 129 के नवीन आराजी नम्बर 227 व 228 [illegible] हुए उसमे मिलाकर वादी की भूमि को बिलानाम दर्ज करना साबित होता है। उपरोक्त [illegible] के आधार [illegible] का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदैन
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे साबिक मूल आराजी नं. 129 के नवीन आराजी नम्बर 227 व 228 मे से खातेदार की खातेदारी आराजी नं. 285/129 रकबा 2 बीघा भूमि का मौका पर्चा एवं सुपुर्दगीनामें से अंकित पुराने नक्शे संवत् 2009 व नवीन नक्शें संवत् 2065 के मिलान नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 227 रकबा 9.4500 हैक्ट. में से 2 बीघा कब्जेशुदा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व आराजी नम्बर 227 का वादी के सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार नवीन नम्बर कायम करते हुए राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज कर, भूमि वादी के पूर्ववत सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 135/2021 राजस्व वाद
धर्मा पुत्र श्री पन्ना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) —— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 07.02.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे साबिक मूल आराजी नं. 129 के नवीन आराजी नम्बर 227 व 228 मे से खातेदार की खातेदारी आराजी नं. 285/129 रकबा 2 बीघा भूमि का मौका पर्चा एवं सुपुर्दगीनामें से अंकित पुराने नक्शे संवत् 2009 व नवीन नक्शें संवत् 2065 के मिलान नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 227 रकबा 9.4500 हैक्ट. में से 2 बीघा कब्जेशुदा का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व आराजी नम्बर 227 का वादी के सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार नवीन नम्बर कायम करते हुए राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज कर, भूमि वादी के पूर्ववत सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आज दिनांक 07.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:07 IST
Reason: SelfAttested